उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–4
संख्या–4–ई. एम./90–का–4–2000
लखनऊ: : दिनांक: : 15 दिसम्बर, 2000

कार्यालय–ज्ञाप

पुलिस विभाग, राज्य सम्पत्ति विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत वाहन चालकों के अतिरिक्त, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य समस्त विभागों में कार्यरत् वाहन चालकों को मानदेय प्रदान करने विषयक समसंख्यक कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 05जनवरी, 1995 के क्रम में, शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है:–

1. पुलिस विभाग, राज्य सम्पत्ति विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग से भिन्न अन्य समस्त विभागों के वाहन चालकों को, उनकी कठिन सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 दिन के वेतन के समतुल्य प्रतिपूर्ति धनराशि प्रदान की जाय। वेतन का तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–9(21) में परिभाषित है।
2. उक्त सुविधा उन्हीं वाहन चालकों को अनुमन्य होगी जिन्होंने एक वर्ष की अहंकारी सेवा पूर्ण कर ली है। उक्त प्रतिपूर्ति धनराशि 12माह की सेवा के आधार पर सम्बन्धित वर्ष की पहली मार्च में देय–मूल वेतन के आधार पर भुगतान की जायेगी। वर्ष के मध्य में सेवा मुक्त होने वाले वाहन चालकों को समानुपातिक दर पर उक्त सुविधा अनुमन्य होगी। जो वाहन चालक वर्ष के दौरान किसी समय सेवा आरम्भ करते हैं, उन्हें भी समानुपातिक दर पर उक्त सुविधा देय होगी।
3. उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष के अन्त में दिया जाने वाला मानदेय, इस सुविधा के उपरान्त देय नहीं होगा।

2– उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय सम्बन्धित विभाग के लेखा शीर्षक के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई 07–मानदेय के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–जी–1–752/दस–2000, दिनांक 28नवम्बर, 2000 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रदीप शुक्ला
सचिव।

संख्या–4–ई, एम./90–का–4–2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
डी0के0वर्मा
विशेष सचिव।